झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0 सं0 - म0 नि0 - II - उ0 यो0 - 69/2018-19/62 रा0(विभाग)/मत्स्य, रॉची, दिनांक 12/02/2019

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रॉची।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग), मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूॅजीगत परिव्यय में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत कुल मो0 410.76 लाख (चार करोड़ दस लाख छिहत्तर हजार) रू0 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत् उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो0 340.00 लाख (तीन करोड़ चालीस लाख) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि सामान्य विभागीय राज्यादेश सं0 06रा0 (विभाग) दिनांक 07.05.2018 तथा ऑनलाईन राज्यादेश सं0 317 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूॅजीगत परिव्यय अन्तर्गत मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के तहत् मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, रॉची में 100 शैय्या के छात्रावास तथा सेमिनार हॉल के निर्माण हेतु मो0 3,70,88,600/- (तीन करोड़ सत्तर लाख अठासी हजार छ: सौ) रु0 एवं डोरण्डा मत्स्य प्रक्षेत्र, रॉची के उत्तर-पूर्वी चाहरदीवारी निर्माण हेतु मो0 39,87,350/- (उनचालीस लाख सतासी हजार तीन सौ पचास) रु0 अर्थात् कुल मो0 4,10,75,950/- (चार करोड़ दस लाख पचहत्तर हजार नौ सौ पचास) रु0 मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उल्लिखित निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक राशि मो0 4,10,75,950/- (चार करोड़ दस लाख पचहत्तर हजार नौ सौ पचास) रु0 मात्र में से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो0 3,40,000,00/- (तीन करोड़ चालीस लाख) रू0 मात्र का व्यय किया जाएगा एवं शेष मो0 70,75,950/- (सत्तर लाख पचहत्तर हजार नौ सौ पचास) रू0 का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में समुचित उपबंध प्राप्त कर किया जायेगा।

17.12.2018 fm@22-01-2019

2. उपर्युक्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना के अधीन यथा कंडिका-1 में उल्लेखित निम्न रूप से दी जाती है-

कम	प्रस्तावित निर्माण कार्य	कुल लागत (रु0 में)	वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि (रु0 में)	वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु प्रस्तावित राशि (रु0 में)
1	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, रॉची में 100 शैय्या के पुरुष एवं महिला छात्रावास के साथ-साथ सेमिनार हॉल का निर्माण	3,70,88,600/-	3,00,12,650/-	70,75,950/-
2	डोरण्डा मत्स्य प्रक्षेत्र, रॉची के सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण के तहत् चाहरदीवारी का निर्माण	39,87,350/-	39,87,350/-	शून्य
	कुल :	4,10,75,950/-	3,40,00,000/-	70,75,950/-

3. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिये समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :

मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय (राशि लाख रु0 में)

क0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	पूर्व में द्वितीय अनुपूरक हेतु प्रत्यार्पित राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-71-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य **53 S 440500796710545**	360.00	20.00	340.00
	कुल योग :	**360.00**	**20.00**	**340.00**

मो0 340.00 लाख (तीन करोड़ चालीस लाख) रू0 मात्र।

4. डोरण्डा मत्स्य प्रक्षेत्र, रॉची के चाहरदीवारी निर्माण कार्य के नो0 39,87,350/- रु0 के योजना प्राक्कलन पर अधीक्षण अभियंता, बी0 सी0 डी0, बिल्डिंग सर्कल नं0-02, रॉची द्वारा दिनांक 28.04.2018 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है। मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, रॉची में 100 शैय्या के छात्रावास तथा सेमिनार हॉल के निर्माण के मो0 3,70,88,600/- रु0 के योजना प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, रॉची द्वारा दिनांक 03.12.2018 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है।

5. राशि का व्यय उपलब्ध बजट के अन्तर्गत स्वीकृत मद में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

6. इस योजना अन्तर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, राँची तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची होंगे। कंडिका-2 में अंकित वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एक मुश्त करते हुए संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग के जमा खाते में हस्तांतरण हेतु भुगतान की जायेगी। दोनों निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

17.12.2018 fm@22-01-2019

7. तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने के लिए सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी जवाबदेह होंगे।

8. वित्तीय वर्ष 2017-18 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत स्वीकृत मो0 760.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध मो0 529.68 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है। इस योजना के मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय अंतर्गत वर्ष 2017-18 में कोई राशि स्वीकृत नहीं थी।

9. योजना के अन्तर्गत कोई भी राशि अग्रिम के समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

10. यह एक राज्य योजना है।

11. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

12. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

13. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 62 रा0(वि0आ0)मत्स्य / राँची , दिनांक 12/02/2019

प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक/ सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल संख्या-02, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 62 रा0(वि0आ0)मत्स्य / राँची , दिनांक 12/02/2019

प्रतिलिपि योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची /विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 62 रा0(वि0आ0)मत्स्य / राँची , दिनांक 12/02/2019

प्रतिलिपि माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव/सचिव, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

17.12.2018 fm@22-01-2019